

कार्मिक, अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

05/11/14

आदेश

जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के संयुक्त आदेश आपांक - 971/जि०, मधेपुरा, दिनांक 03-04-2014 तथा राजस्व पर्वद, बिहार, पना को अधिसूचना सं० 4/टेक/20013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आशोक में विधि-अवस्था बनाये रखने हेतु राजनपत्रों के अपसर पर दिनांक 08-04-2014 को जिले में अपरिचित सभी प्रकार के धाराब टुकमें बन्द रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

प्र० अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

आप संख्या 130, दिनांक

प्रतिहीन निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/अवर निरीक्षक उत्पाद, श्री राजेंद्र प्रसाद/श्री ज्योति भूषण/श्री शैलेश्वर त्रिपाठी/प्रतिनिधि सर्वश्री म. ए. चार्म की लिंग लहान प्रा० लि०, देवी शराब विनिर्माण शाखा, मधेपुरा डिपो प्रबन्धक देवी शराब/दिदेवी शराब को० एस् को० सी० एल०, मधेपुरा को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अवर निरीक्षक उत्पाद को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने अंचल के अन्तर्गत पब्लिक सभी धाराब टुकमें को सख्त बन्द करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सख्त गारंटी एवं दापामारी करेंगे ताकि किसी भी श्रेण से धाराब को विक्री नहीं हो सके।

प्र० अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

आप संख्या 489/उ०, दिनांक 4/4/14

प्रतिहीन जिला सूचना विभाग प्रदाधिकारी, मधेपुरा को बक्सल्ट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/11/14
प्र० अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।